

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप भोपाल

सं. - १००४ - II-16

पुनर्स्थापन प्र.क. / 16

श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री बोंदर सिंह
निवासी-ग्राम सोयत तहसील नसरुल्लागंज,
जिला-सीहोर ।

.....आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती समुद्राबाई पत्नी श्री रामअवतार
निवासी-ग्राम सोयत तहसील नसरुल्लागंज,
जिला-सीहोर ।

.....अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35 (3) म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है :-

01. यह कि आवेदक ने अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/रिवीजन/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2013 के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष राजस्व रिवीजन प्रकरण क्रमांक 590द्वितीय/14 प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2016 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । जैसे ही जानकारी मिली अविंलंब माननीय न्यायालय के समक्ष सद्भावनापूर्वक आवेदन समयावधि में प्रस्तुत है ।
02. यह कि आवेदक अभिभाषक दिनांक 19.07.2016 को बीमारग्रस्त होने के कारण सम्माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके ओर न ही आवेदक को सूचित कर सके इस कारण सम्माननीय न्यायालय ने दिनांक 19.07.2016 को उक्त प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया है जिसे प्रकरण के स्वच्छ, निष्पक्ष, समुचित न्याय संगत निराकरण हेतु पुनर्स्थापित किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है । प्रकरण प्रारंभिक अवस्था में है यदि प्रकरण को पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो आवेदक के वैधानिक हित गंभीर रूप से प्रभावित होंगे तथा वह सम्माननीय न्यायालय से स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगा ।
03. यह कि विधि का सुस्थापित मान्य सिद्धांत है कि अभिभाषक की गलती के लिए पक्षकार को दंडित नहीं किया जाना चाहिये तथा प्रकरण को प्रकरण के स्वच्छ, निष्पक्ष, समुचित न्याय संगत निराकरण हेतु पुनर्स्थापित कर प्रकरण का निराकरण अंतिम गुणदोषो पर किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है ।
04. यह कि उक्त तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न है ।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए रिवीजन प्रकरण क्रमांक 590द्वितीय/14 अपास्त कर प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जावे जो न्यायोचित होगा ।

भोपाल, दिनांक: 21.07.2016

आवेदक

द्वारा-

अद्वितीय

21/7/16
शिवानन्द साहू




M

✓

200

Resto. 9028-II/16 सी.सी.डी.-



30.8.16

प्रस्तुतकार

आवरण अर्थात् यशवंत राहू शिवाजी
उ-ए वेस्टिंग आवरण 48 युवा गण। विचारापरान्त
कि रूटिंग आवरण स्वीकार किया जाता है।
मूल निगरानी खण्ड 590-II/14 पुनर्स्थापित
की-उन्त है। प्रकरण सम्बन्धित प्रकृत-है।
सिद्धांत

[पीछे देखिये]

M